बिहार सरकार
खाद्य आपूर्ति एवं वाणिज्य विभाग

अधिसूचना

सार्वजनिक वितरण प्रणाली (नियंत्रण) आदेश 2001

जी0एस0आर0 ...../पटना, दिनांक ..... 2005 आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 (1955 का 10) की धारा-3 में निहित शक्तियों का प्रयोग करते हुए भारत सरकार उपभोक्ता मामले, खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण मंत्रालय द्वारा निर्गत अधिसूचना जी0एस0आर0 संख्या 630(ई0) दिनांक 31.08.01 द्वारा जारी सार्वजनिक वितरण प्रणाली (नियंत्रण) आदेश 2001 सम्पूर्ण भारत में प्रभावी है । सार्वजनिक वितरण प्रणाली (नियंत्रण) आदेश 2001 के कंडिका-7, 8, 10 एवं 11 में निहित प्रावधानों को विनियमित करने हेतु आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 (1955 का 10) की धारा-3 के अधीन अधिसूचना/आदेश जारी करना अपेक्षित है ।

2. अतएव भारत सरकार की पूर्व सहमति से बिहार राज्यपाल एतद् द्वारा अनुमंडल पदाधिकारियों को अपने-अपने क्षेत्राधिकार में उचित मूल्य के दुकान की अनुज्ञप्ति/प्राधिकार जारी करने हेतु प्राधिकृत करते हैं । उक्त कंडिका के अधीन उचित मूल्य के दुकानों के स्वामियों को अनुज्ञप्ति जारी की जाएगी तथा उनके कर्तव्यों एवं उत्तरदायित्वों को अभिकथित किया जायेगा ।

3. उक्त आदेश की कंडिका- 8 के सन्दर्भ में राज्य सरकार उचित मूल्य के दुकानों के अनुश्रवण हेतु समुचित प्रणाली निर्धारित करेगी ।

4. उक्त आदेश के कंडिका-10 के तहत भारत सरकार की पूर्व सहमति से, बिहार राज्यपाल निम्नलिखित पदाधिकारियों को अपने-अपने क्षेत्राधिकार में उचित मूल्य के दुकान/परिसर में प्रवेश, जांच/निरीक्षण , तलाशी एवं अधिग्रहण की शक्तियां प्रत्यायोजित करते है ।

1. आयुक्त एवं सचिव/सचिव, विशेष सचिव, अपर सचिव, संयुक्त सचिव, उप सचिव एवं अवर सचिव, खाद्यायुक्त के सचिव, खाद्य आपूर्ति एवं वाणिज्य विभाग ।
2. सभी प्रमंडलीय आयुक्त
3. आरक्षी उप महानिरीक्षक (खाद्य)
4. सभी जिला पदाधिकारी
5. आरक्षी अधीक्षक (खाद्य)
6. सभी अपर जिला दण्डाधिकारी
7. सभी अपर समाहर्त्ता
8. सभी उपनिदेशक, खाद्य एवं असैनिक आपूर्ति
9. सभी अनुमंडल पदाधिकारी
10. सभी जिला आपूर्ति पदाधिकारी
11. आरक्षी उपाधीक्षक (खाद्य)
12. सभी सहायक जिला आपूर्ति पदाधिकारी
13. प्रभारी दण्डाधिकारी, उड़नदस्ता, खाद्य आपूर्ति एवं वाणिज्य विभाग
14. सभी कार्यपालक दण्डाधिकारी
15. विशिष्ट पदाधिकारी, प्रभारी अनुभाजन, पटना
16. उप अनुभाजन पदाधिकारी, पटना
17. सभी सहायक अनुभाजन पदाधिकारी, पटना
18. सभी प्रखंड विकास पदाधिकारी
19. सभी अंचल अधिकारी
20. सभी प्रखंड आपूर्ति पदाधिकारी/प्रभारी प्रखंड आपूर्ति पदाधिकारी
21. सभी पणन पदाधिकारी
22. सभी आपूर्ति निरीक्षक
23. सभी आरक्षी निरीक्षक (खाद्य)

(i) तलाशी एवं अधिग्रहण से सम्बन्धित प्रावधान में दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा-100 के उपबन्ध जहां तक हो सके उक्त आदेश के अधीन लागू होंगे ।

5. उक्त आदेश 2001 के प्रावधान-11 के प्रयोजन हेतु भारत सरकार की पूर्व सहमति से बिहार राज्यपाल राज्य के निम्नलिखित पदाधिकारियों को अपने क्षेत्राधिकार में अपील प्राधिकारी के रूप में प्राधिकृत करते है :-

(i) किसी अधिकारी द्वारा इस आदेश के अधीन किये गये आदेश से व्यथित/प्रभावित कोई भी व्यक्ति -

(क) यदि आदेश जिला पदाधिकारी से नीचे स्तर के किसी अधिकारी द्वारा किया गया हो तो जिला पदाधिकारी को अपील कर सकेगा तथा

(ख) यदि आदेश जिला पदाधिकारी द्वारा किया गया हो तो प्रमंडल के आयुक्त को अपील कर सकेगा ।

(ii) ऐसी कोई भी अपील ग्रहण नही की जायेगी यदि यह "अपीलार्थी" द्वारा उस आदेश की, जिसके विरूद्ध अपील की गई है, प्राप्ति की तारीख से 30 दिनों के भीतर नहीं की गई है ।

(iii) इसके अधीन कोई भी ऐसा आदेश जो किसी व्यक्ति पर प्रतिकूल प्रभाव डालता हो, तब तक पारित नही किया जायेगा जब तक कि उस व्यक्ति को सुनवाई का समुचित अवसर नही दे दिया गया हो ।

(iv) अपील निपटारा होने तक के लिये अपीलीय प्राधिकारी निदेश दे सकेगा कि जिस आदेश के विरूद्ध अपील की गई है, वह तब तक प्रवृत नही होगा जब तक की अपील का निपटारा नही हो जाता है ।

(v) आयुक्त एवं सचिव/सचिव, खाद्य आपूर्ति एवं वाणिज्य विभाग, स्वप्रेरणा से या आवेदन किये जाने पर, प्रमंडलीय आयुक्त/जिला पदाधिकारी या अनुज्ञापन पदाधिकारी द्वारा इस आदेश के उपबंधों के अधीन निश्चित किसी मामले के अभिलेख मांग सकेगा और यदि उसका समाधान हो जाता है कि प्रमंडलीय आयुक्त/जिला पदाधिकारी या अनुज्ञापन पदाधिकारी ने :-

(क) ऐसी अधिकारिता का प्रयोग किया है जो उसमें निहित नही है,

(ख) उसमें निहित अधिकारिता का तात्विक अनियमितता के साथ प्रयोग किया है,

(ग) वह उसमें निहित अधिकारिता का प्रयोग करने में असफल रहा है,

तो वे ऐसा आदेश पारित कर सकेगा जो वह उचित समझे ।

5. यह अधिसूचना केन्द्रीय उपभोक्ता मामले, खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण मंत्रालीय जी0एस0आर0 630 (ई0) दिनांक 31.08.2001 के साथ प्रवृत होगा एवं तत्सम्बन्धित पूर्व अधिसूचना / आदेश रद्द समझा जाए ।

(प्र04-वि02-04/2001)
बिहार राज्यपाल के आदेश से,

ह0/-
सरकार के उप सचिव ।

ज्ञापांक - 1728 दिनांक - 25.5.2006

प्रतिलिपि - अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय, गुलजारबाग, पटना-7 को अंग्रेजी प्रति सहित सूचनार्थ एवं बिहार गजट के असाधारण अंक में अविलम्ब प्रकाशनार्थ प्रेषित ।

अनुरोध है कि उक्त प्रकाशित गजट की एक सौ प्रतियां अधोहस्ताक्षरी को यथाशीघ्र उपलब्ध कराने की कृपा की जाय ।

ह0/-
सरकार के उप सचिव ।

ज्ञापांक - 1728 दिनांक - 25.5.2006

प्रतिलिपि - सभी प्रमंडलीय आयुक्त / सभी जिला पदाधिकारी / प्रशाखा पदाधिकारी-5 खाद्य आपूर्ति एवं वाणिज्य विभाग, बिहार, पटना को सूचना एवं आवश्यक कारवाई हेतु प्रेषित ।

25.5.06
सरकार के उप सचिव ।